Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ **जयपुर में पुलिस थाना शास्त्री नगर (उत्तर) आयुक्तालय, जयपुर का कानिस्टेबल तथा न्यायालय अपर सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं. 11, जयपुर महानगर द्वितीय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 400/— रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 08.08.2025 शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जयपुर नगर—प्रथम, जयपुर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये दीपचन्द मीणा कानि. 7340 पुलिस थाना शास्त्री नगर आयुक्तालय जयपुर एवं आरोपी गुलाम साफवान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय अपर सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं. 11, जयपुर महानगर द्वितीय को 400/— रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर नगर—प्रथम, जयपुर ईकाई को एक शिकायत इस आशय कि मिली कि दीपचन्द मीणा कानि. 7340 पुलिस थाना शास्त्री नगर, आयुक्तालय जयपुर द्वारा परिवादी को मोचन आदेश (रिलिज ऑर्डर) देने की की ऐवज में 600/— रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर परिवादी को परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस—द्वितीय श्री आनन्द शर्मा**, के सुपरविजन में ए.सी.बी. जयपुर नगर—प्रथम, जयपुर के **अति. पुलिस अधीक्षक श्री भूपेन्द्र** के नेतृत्व में आज मय **उप अधीक्षक पुलिस श्री नीरज गुरनानी** एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी दीपचन्द मीणा कानि. 7340 पुलिस थाना शास्त्री नगर, आयुक्तालय जयपुर एवं आरोपी गुलाम साफवान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय अपर सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम सं. 11. जयपुर महानगर द्वितीय को परिवादी से 400/— रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी में आरोपियो से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।